

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

रामेरा आदि

बनाम

हरीसिंह आदि

दावा बाबत :- 188/20, 88 RTA 14

मुकदमा नम्बर :- 180/20


निर्णय दिनांक :- 10.11.21

वादी की ओर से वकील श्री ~~सुरेन्द्र राम~~ की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील ~~सुरेन्द्र बैनीवाल~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.21 को राजा शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रानी गौजा चक्र 5 डी.पी.एन के खाता सं० 115/116 के मु० न० 6 के डि० न० 1, 10 ता 25, ही कुत प.० 990 ई० में प्रति० सं० 1 का 1/2 हि० चक्र 5 डी.पी.एन की खाता सं० 112/117 के मु० न० 9 के डि० न० 2 ता 25, मु० न० 10 डि० न० 1 ता 3, 8 ता 19, 20, 21 की कुत 9.1080 ई० में प्रतिवारी सं० 1 के नाम पर हि० चक्र 5 डी.पी.एन के खाता सं० 103/105 मु० न० 5 डि० न० 18 ता 23, मु० न० 9 के डि० न० 1 कुत 1.7310 ई० में प्रतिवारी सं० 1 के नाम पर 66 हि० भूमि में प्रति० सं० 1 हरीसिंह का नाम उत्तमजन दिया जाकर मुताबिक राजीनामा वादीगण रामेरा पुत्र अंतस्तात, रामेन्द्र पुत्र अंतस्तात, रवि पुत्र अपवीर को व हि० चक्र के अनुसार खातेदार अंतस्तात घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवारीगण सं० 1 ता 10 ने अपना एक हि० चक्र वादीगण के पत्र में लपटा कर शुब कर तिपाईं शामिल लागू किए गये हि० चक्र पर निगाउसार वंजीपन शुल्क भुगतान करने व धरि भूमि खंड रद्द हो रही रद्द भुगतान होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिमॉडि उद्घाटन किया जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


श्रीमति शंकुतला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़